Committee. No request for Grant-in-aid for 1980-81 has been received in the Ministry from Hindi Siksha Samiti so far.

Linking of District Headquarter with Trunk-Call Facility in Nagaland

1653. SHRI CHINGWANG KONYAK: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to connect all the District Headquarters in Nagaland with trunk-call facilities; and

(b) if so, by what time it is expected that these facilities will be made available to the public?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI C. M. STEPHEN): (a) Yes, Sir.

(b) Out of six District Headquarters other than Kohima, one District Headquarter viz. Mokokchung is already connected with Kohima. For three District Headquarters namely Wokha, Zunheboto and Tuensang estimates for construction of overhead lines have been approved and these are planned to be linked with Kohima within a year subject to availability of stores. The above mentioned District Headquarters and remaining two District Headquarters namely Mon and Phek are proposed to be linked by UHF system during 1982-83.

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई भूमि से बेदखल किये गये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग

1654. **श्री भगवान दत्त:** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गयी भूमि से 1977 से 1979 के दौरान बेदखल किये गये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने बेदखल किये गये उन लोगों को भूमि वापस दिलाने के बारे में कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्तियों को भूमि का कब्जा दिया गया है; और

(घ) शेष व्यक्तियों को उनकी भूमि का कब्जा कब तक दिया जायगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन): (क) से (घ). आबंटियों को काफी संख्या में बेदखल किए जाने की कोई रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं। बिहार में, अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के 1833 आबंटियों (सभी जातियों से संबंधित) को बेदखल किये जाने की सूचना प्राप्त हुई थी परन्तु राज्य सरकार ने 889 आबंटियों को पुन: स्थापित कर दिया था। अन्य मामलों की जांच की जा रही थी। उत्तर प्रदेश में कुछ शिकायतें थीं कि 1,30,250 आबंटी आबंटित भूमि का कब्जा लेने में असमर्थ थे। राज्य सरकार ने 1,26,326 आंबटियों को पहले ही कब्जा दिला दिया है और केवल 3,924 मामले निलम्बित पड़े हुए हैं। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख व्यक्तियों को 22,806 हैक्टेयर सार्वजनिक उपभोगिता की भूमि आबंटित की गई थी। इस श्रेणी के लगभग 27,000 आबंटन खारिज कर दिए गए हैं परन्तु 689 आबंटियों को इसकी एवज में भूमि आबंटित कर दी गई थी। अन्य मामलों में, आबंटियों (जिनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं) को उस समय तक भूमि पर कब्जा रखने की अनुमति दी गई है जब तक इसकी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वास्तविक रूप में आवश्यकता न हो।

Revenue from Indian made Foreign Liquor

1655. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that despite the strict excise policy and nearly